न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2016/00240 (109/2016)

हरपत वल्द टोडा जाति जाट निवासी निठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र हरसुख जाति जाट निवासी निठराना तहसील भादरा अध्यक्ष जरिये श्रीराम सागर गौशाला निठराना तहसील भादरा हाल अध्यक्ष भगतराम जाट पि0 फूलाराम जाति जाट सा0 नेठराना तह0 भादरा।
2. श्योराम पुत्र वजीर सिंह जाति धारीवाल निवासी निठराना तहसील भादरा सचि श्रीराम सागर गोशाला निठराना तहसील भादरा।
3. लिलाधर पुत्र मनीराम जाति महाजन निवासी निठराना तहसील भादरा कौषाध्यक्ष श्रीराम सागर गौशाला निठराना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 आरटीएक्ट

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा दिनांक 11.05.2016 प्र. सं. 13/2014

अनवान हरपत बनाम राजेन्द्र आदि

उपस्थितः—

श्री मदनमोहन जोशी अभिभाषक अपीलार्थी

श्री विजय कौशिक अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ता 3

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 4

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:15:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 22.09.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने धारा 2 (2) राज0 को0 एक्ट व धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि प्रार्थी की चक 9 एनटीआर में 5.150 है0 भूमि है। प्रार्थी अपनी भूमि में आवागमन हेतु मु0 नं0 56 के किला नं. 17/2 व 17/1 में से चलकर आवागमन करता है। अप्रार्थीगण इस रास्ता पर पक्की तामीर आदि करवाना चाहता है, जिससे प्रार्थी कोई रास्ता नहीं ले सकेगा और आवागमन बाधित होगा। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में चक 5 एनटीआर के मु. नं. 56 के किला नं. 17 में कोई तामीर आदि नहीं करें ना ही प्रार्थी के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, का अनुतोष मांगा।

2. अप्राथी ने प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश करते हुए कथन कियाकि अप्रार्थीगण श्री रामसागर गोशाला समीति नेठराना के पदाधिकारी हैं उक्त गौशाला सन् 1998–99 से संचालित है जो रजिस्टर्ड है। गौशाला में हजारों गाये हैं सरकार द्वारा अनुदान व सार्वजनिक चंदे से संचालन हो रहा है। प्रश्गनत भूमि गौशाला के नाम से आरक्षित है। प्रार्थी मु0 नं0 56 के किला नं. 17 से आवागमन नहीं करता है। यहां कोई रास्ता नहीं चल रहा है। प्रार्थी के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु अन्य रास्ता है। रास्ता स्वीकृत करने से गोशाला दो भागों में विभक्त हो जायेगी। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे ।

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना–पत्र यह अंकित करते हुए खारिज कर दिया कि प्रार्थी के आवागमन के लिऐ मु0 नं0 45 के किला नं. 24, 25 से पूर्व से ही रास्ता स्वीकृत है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:15:32 IST
Reason: SelfAttested

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्गनत भूमि पर श्रीराम सागर गोशाला निठराना ने गैर कानूनी ढंग से बना रखी है जिसमें रेस्पोडेंट संचालन व देखरेख में निर्माण आदि किया जा रहा है। गौशाला के सड़क की पश्चिमी दिशा में अपीलाण्ट की खातेदारी कृषि भूमि है। मु0 नं0 56 के किला नं. 18 में गैर मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलाण्ट इस रास्ते से आवागमन करता

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है। रेस्पोडेण्ट प्रश्नगत रास्ते को पक्का निर्माण करवाकर बंद करने पर आमादा है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अब्दुल रहमान बनाम स्टेट आदि में यह आदेश पारित किया है कि जोहड पायतन की भूमि में सन 1947 से पूर्व की स्थिति बहाल रखी जावे ताकि तालाब व पानी के टांका व सार्वजनिक जल सारणी आदि सुरक्षित व संरक्षित रह सके परन्तु धार्मिक आस्था का प्रकरण मानते हुए जोहड़ पायतन की गैर मु0 सार्वजनिक निर्माण विभाग के रास्ता पर रेस्पोडेण्ट ने अवैध अतिक्रमण कर कर उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। अधीनस्थ न्यायलय में तहसीलदार को सुना नहीं गया है, उनका लिखित में जवाब नहीं लिया गया। वाद भूमि धारा 16 आरटी एक्ट के तहत आती है तथा वादी भूमि में गौशाला कतई गलत रूप से बनाई गई है। उपखण्ड अधिकारी को मु0 नं0 122 की 2.378 है0 भूमि जो जोहड पायतन की भूमि है उसे गौशाला के नाम से आरक्षित करने का कोई अधिकार नहीं था। आवंटन आदेश का रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया है। 16 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजनैतिक दवाब से व धार्मिक आस्था का प्रकरण मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2016–17 पेज 354 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि श्री रामसागर गोशाला सिमति नेठराना के पदाधिकारी हैं उक्त गोशाला सन् 1998–99 से संचालित है जो रजिस्टर्ड है। गौशाला में हजारों गाये हैं सरकार द्वारा अनुदान व सार्वजनिक चंदे से संचालन हो रहा है। प्रश्गनत भूमि गौशाला के नाम से आरक्षित है। प्रार्थी मु0 नं0 56 के किला नं. 17 से आवागमन नहीं करता है। यहां कोई रास्ता नहीं चल रहा है। प्रार्थी के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु अन्य रास्ता है। रास्ता स्वीकृत करने से गोशाला दो भागों में विभक्त हो जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं मौका निरीक्षण कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट को हैरान परेशान करने के लिए यह अपील पेश की है जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2016 (1) पेज 649 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:15:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित दस्तावेज होने के कारण तथा प्रकरण के निस्तारण में अहम दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत दस्तावेज को अभिलेख पर लिया जाता है।

9. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलाण्ट का कथन है कि वह मु0 नं0 56 के किला नं. 17 से अपनी भूमि में आवागमन करता है और रेस्पोडेण्ट इस किला में पक्का निमार्ण करना चाहता है जिससे वह रास्ते से वंचित हो जायेगा ओर वह अपने खेत का सही से उपयोग व उपभोग नहीं कर सकेगा अपनी कृषि भूमि पर बने मकान में नहीं आ जा सकेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अधीनस्थ न्यायलाय के पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं के द्वारा ग्राम वासियों की मौजूदगी में मौका देखा गया है और यह माना है कि प्रार्थी द्वारा रास्ता की मांग की गई है उक्त रास्ता स्वीकृत होने पर गौशाला दो भागों में विभक्त हो जायेगी। गौशाला रजिस्टर्ड संस्था है। इसमें सभी प्रकार की आवारा गौवंश की देखरेख व पालन–पोषण का कार्य किया जा रहा है। अपीलाण्ट के पास मु0 नं0 45 के किला नं. 24, 25 में पूर्व से ही रास्ता स्वीकृत जिससे वह आवागमन करता आ रहा है। प्रश्नगत श्रीरामसागर गौशाला नेठराना के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि आरक्षित की गई थी जिसके विरूद्ध पूर्व में राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपीलाण्ट ने अपील 117/2016 प्रस्तुत की थी जो स्वीकार की गई एवं जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील 402/2018 श्रीराम सागर गोशाला बनाम हरपत अपील हुई जो विचाराधीन है। अपीलाण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता विद्यमान है एवं रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2016 (1) पेज 649 के अनुसार वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो तो विद्यमान मार्ग के अलावा सीधे मार्ग की मांग नहीं कर सकता है। उक्त तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टान्त के आलौक में अपील खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:15:32 IST
Reason: SelfAttested

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2016 यथावत रखा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.09.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

24/9/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:15:32 IST
Reason: SelfAttested